संख्या-7/2017/2204/77-3-17-15बजट/16

प्रेषक,

सीताराम यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अम्बेडकर नगर/आजमगढ़।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ :दिनांक: 11 अक्टूबर, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में आयोजनागत मद में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत 'प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना' पूर्वान्चल एक्ससप्रेसवे हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए रू0 25.00 करोड़ की स्वीकृति दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-1006/77-3-17-15बजट/16, दिनांक 28.06.2017 का कृपया संर्दभ ग्रहण करें, जिसकें पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे (ग्रीन-फील्ड) परियोजन से आच्छादित जनपद अम्बेडकरनगर के जिलाधिकारी की अपेक्षानुसार चालू वित्तीय वर्ष् 2017-18 में रू0 25.00 करोड़(रूपये पच्चीस करोड़ मात्र) की धनराशि कतिपय शर्तो के अधीन स्वीकृत की गयी थी। जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर के पत्र संख्या-811/अधि0/यूपीडा/ अम्बे/2017, दिनांक 16.08.2017 द्वारा अवगत कराया गया है कि उन्हें पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना में प्रभावित ग्रामों के संरेखण के अंतर्गत आने वाले गाटों का बैनामों व पुनर्ग्रहण हेतु रू010.00 करोड़ मात्र की आवश्यकता है। अत: उनके द्वारा यूपीडा के पत्र दिनांक 03.07.2017 के साथ संलग्न एलाटमेंट ग्रिड रिपोर्ट वापस करते हुए शासन द्वारा स्वीकृत रू0 25.00 करोड़ की धनराशि वापस की गयी है और रू0 10.00 करोड़ मात्र का ग्रिड रिपोर्ट एलाटमेंट ग्रिड रिपोर्ट देने का अनुरोध किया गया है। वरिष्ठ कोषाधिकारी अम्बेडकर नगर द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि बजट आवंटन ग्रिड रिपोर्ट संख्या-001-1006, दिनांक 28.06.2017 अधिष्ठान कोड 4183 लेखाशीर्षक-5054- अनुदान सं0-83 का भुगतान कोषागार अम्बेडकर नगर से नहीं किया गया है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी,यूपीडा के पत्र सं0-1763/ यूपीडा/08/147,दिनांक 05.09.2017 तथा पत्रांक-1917/यूपीडा/08/147,दिनांक 18.09.2017 द्वारा अनुरोध किया गया है कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 28.06.2017 द्वारा स्वीकृत रू025.00 करोड़ की धनराशि में से रू0 10.00 करोड़ की धनराशि जनपद अम्बेडकर नगर तथा शेष रू0 15.00 करोड़ की धनराशि जनपद आजमगढ़ को पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे हेतु भूमि क्रय/अधिग्रहण के लिए आवंटित कर दिया जाय।

अत: मुख्य कार्यपाल अधिकारी, यूपीडा के पत्र संख्या-1763/यूपीडा/08/147,दिनांक 05.09.2017 तथा पत्रांकसंख्या-1917/यूपीडा/08/147,दिनांक 18.09.2017 की अपेक्षानुसार शासनादेश सं0-1006/77-3-17-15 बजट/16, दिनांक 28.06.2017 को एतद द्वारा निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान सं0-83 के अधीन लेखाशीर्षक "5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-07-पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना-24 वृहत निर्माण कार्य" में प्राविधानित धनराशि रू0 200.00 करोड़ में से अवशेष रू0 25.00 करोड़ (रूपये पच्चीस करोड़ मात्र) पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे (ग्रीन-फील्ड) परियोजना से आच्छादित जनपद अम्बेडकर नगर के जिलाधिकारी की अपेक्षानुसार रू0 10.00 करोड़ (रूपये दस करोड़ मात्र) तथा आजमगढ के लिए रू0-15.00

करोड़ (रूपये पन्द्राह करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) धनराशि आहरित करके सम्बन्धित जिलाधिकारी के डिपाजिट खाते में जमा की जायेगी।

(2) धनराशि का आहरण करके यूपीडा के बैंक खाते अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का आहरण डिपाजिट खाते से तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाये।

(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोंपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2. उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 25.00 करोड़ (रूपये पच्चीस करोड़ मात्र) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-789-अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना-07-पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना-24 बृहत निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 कार्यालय संख्या-8/2017बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 के प्राविधानो के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सीताराम यादव
संयुक्त सचिव।

संख्या- (1)/77-3-17-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1. महालेखाकार,(प्रथम)उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक,वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय,जवाहर भवन, लखनऊ।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमतीनगर, लखनउ।
4. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अम्बेडकर नगर/ आजमगढ़।
5. निदेशक,स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
6. वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-6,वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1,औद्योगिक विकास अनुभाग-2।
7. समाज कल्याण, बजट प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश शासन।
8. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

सीताराम यादव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in